



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223139
CG-DL-E-18112020-223139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3607]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/ कार्तिक 22, 1942

No. 3607]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

का.आ. 4108(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद जिले में NH709B के कि.मी. 14.75 से कि.मी.26.15 (ज़िलाधिकारी कार्यालय गाज़ियाबाद) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (भु ० अ ०) गाज़ियाबाद को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरों सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद जिले में NH709B के कि.मी. 14.75 से कि.मी.26.15 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: गाज़ियाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: लोनी					
गांव का नाम: लोनी (चकबंदी बाहर)					
1	123	निजी	कृषि	0.2500000(हेक्टेयर)	0.2500000
2	126	निजी	कृषि	0.0331000(हेक्टेयर)	0.0331000
3	130	निजी(निजी)	कृषि	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
4	136	निजी(निजी)	कृषि	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
5	143	निजी(निजी)	कृषि	0.0590000(हेक्टेयर)	0.0590000
6	144	निजी(निजी)	कृषि	0.0311000(हेक्टेयर)	0.0311000
7	145	निजी(निजी)	कृषि	0.0516000(हेक्टेयर)	0.0516000
8	155	निजी(निजी)	कृषि	0.0285000(हेक्टेयर)	0.0285000
9	157	निजी(निजी)	कृषि	0.0143000(हेक्टेयर)	0.0143000
10	158	निजी(निजी)	कृषि	0.0195000(हेक्टेयर)	0.0195000
11	159	निजी(निजी)	कृषि	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
12	3529	निजी	कृषि	0.1684000(हेक्टेयर)	0.1684000
13	3531	निजी	कृषि	0.4280000(हेक्टेयर)	0.4280000
गांव का नाम: पावी सादकपुर					
1	462	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
2	549	निजी	कृषि	0.1471000(हेक्टेयर)	0.1471000
3	649	निजी	कृषि	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
4	650	निजी	कृषि	0.0232000(हेक्टेयर)	0.0232000
5	651	निजी	कृषि	0.0225000(हेक्टेयर)	0.0225000

6	653	निजी	कृषि	0.0071000(हेक्टेयर)	0.0071000
कुल				1.3447	1.3447

[फा. सं. NHAI/PIU-Gzb/709B/12011/LA/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2020

S.O. 4108(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH709B in the stretch of land from Km 14.75 to Km 26.15 (DM OFFICE GHAZIABAD) in the district of GHAZIABAD in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM (LA) Ghaziabad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH709B in the stretch of land from Km 14.75 to Km 26.15 in the district of GHAZIABAD in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: GHAZIABAD		
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Loni					
Village: Loni (Chakbandi Bahar)					
1	123	Private	Agriculture	0.2500000(Hectare)	0.2500000
2	126	Private	Agriculture	0.0331000(Hectare)	0.0331000
3	130	Private	Agriculture	0.0133000(Hectare)	0.0133000
4	136	Private	Agriculture	0.0150000(Hectare)	0.0150000

5	143	Private	Agriculture	0.0590000(Hectare)	0.0590000
6	144	Private	Agriculture	0.0311000(Hectare)	0.0311000
7	145	Private	Agriculture	0.0516000(Hectare)	0.0516000
8	155	Private	Agriculture	0.0285000(Hectare)	0.0285000
9	157	Private	Agriculture	0.0143000(Hectare)	0.0143000
10	158	Private	Agriculture	0.0195000(Hectare)	0.0195000
11	159	Private	Agriculture	0.0010000(Hectare)	0.0010000
12	3529	Private	Agriculture	0.1684000(Hectare)	0.1684000
13	3531	Private()	Agriculture	0.4280000(Hectare)	0.4280000
Village: Pabhi Sadakpur					
1	462	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
2	549	Private	Agriculture	0.1471000(Hectare)	0.1471000
3	649	Private	Agriculture	0.0120000(Hectare)	0.0120000
4	650	Private	Agriculture	0.0232000(Hectare)	0.0232000
5	651	Private	Agriculture	0.0225000(Hectare)	0.0225000
6	653	Private	Agriculture	0.0071000(Hectare)	0.0071000
Total				1.3447	1.3447

[F.No. NHAI/PIU-Gzb/709B/12011/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.